



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230908
CG-DL-E-02112021-230908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4222]
No. 4222]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4583(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2670(अ) तारीख 18 जून, 2021, भारत के राजपत्र सं. 2472 दिन बृहस्पतिवार, तारीख 1 जुलाई, 2021 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के अंचल- बरौनी तथा मटीहानी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 1 अगस्त 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला बेगुसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे/ प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मटीहानी	रामदीरी – 423	391	00	05	01
		398	00	02	92
		203	00	04	17
		199	00	01	30
		436	00	05	04
		399	00	00	93
		1069	00	03	29
		1114	00	01	63
		1128	00	01	88
		414	00	01	30
		286	00	00	43
		285	00	01	27
		431	00	01	12
		1129	00	01	86
		290	00	00	85
मटीहानी	रामदीरी – 420	421	00	05	23
		11	00	02	57
		10	00	01	21
		7	00	02	17
		8	00	02	67
बरौनी	भभौर– 548	13	00	03	24
		477	00	02	27
		476	00	03	65
		508	00	00	61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		503	00	00	31
		519	00	01	90
बरौनी	मल्हीपुर-503	888	00	17	83
		886	00	01	29
		884	00	00	72
		885	00	02	56
		882	00	02	00
		881	00	01	42
		880	00	01	30
		879	00	01	30
		878	00	01	30
		877	00	02	00
		876	00	02	40
		875	00	02	20
		873	00	01	32
		872	00	01	38
		870	00	03	20

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4583(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2670 (E) Dated 18 June, 2021, published in the Gazette of the India Gazette No-2472 dated 1 July, 2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying of “Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur” for the transportation of petroleum product in Begusarai District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 1st August 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Begusarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Matihani	Ramdiri – 423	391	00	05	01
		398	00	02	92
		203	00	04	17
		199	00	01	30
		436	00	05	04
		399	00	00	93
		1069	00	03	29
		1114	00	01	63
		1128	00	01	88
		414	00	01	30
		286	00	00	43
		285	00	01	27
		431	00	01	12
		1129	00	01	86
		290	00	00	85
		421	00	05	23
		11	00	02	57
		10	00	01	21
		7	00	02	17
Matihani	Ramdiri – 420	8	00	02	67
		13	00	03	24
Barauni	Bhabhour– 548	477	00	02	27
		476	00	03	65
Barauni	Bhabhour– 548	508	00	00	61
		503	00	00	31
Barauni	Malhipur– 503	519	00	01	90
		888	00	17	83
		886	00	01	29
		884	00	00	72
		885	00	02	56
		882	00	02	00
		881	00	01	42
		880	00	01	30
		879	00	01	30
		878	00	01	30
		877	00	02	00
Barauni	Malhipur– 503	876	00	02	40
		875	00	02	20
		873	00	01	32
		872	00	01	38
		870	00	03	20

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-1/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.